

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक./सेवा.अराज./3क(2)/ 164

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-18(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड: 8300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-महिला								
विषय-अंग्रेजी								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणार्क	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनिता नौडियाल प्रा.अ.	रा.प्रा.वि. सीकू	पौड़ी	पौड़ी	08/05/1995	6.48	रा.क.उ.मा.वि. पौड़ी नगर (पौड़ी) पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 2151-75

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक संवत्कृत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (वैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित बरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-

- (क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान 8300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।
- (ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्तर्धी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका वने इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


(अजय कुमार चौधरी)
मण्डलीय अपर निदेशक, (भा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पी.टी.

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/

169

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(r) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-18 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड ₹300-34800, ग्रेड वेतन 4600 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की व्योपता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय-हिन्दी								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	श्रीमती बीना पैन्थूली, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. पाप सिंगोट	डुण्डा	उत्तरकाशी	26/11/1990	5.919	रा.उ.मा.वि. नाल्ड (भटवाड़ी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	सीता डौनाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. धान	नीगांव	उत्तरकाशी	27/11/1990	5.837	रा.इ.का. मोल्टाड़ी (चिन्चालीसीड) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती विजया अरनाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. धारकोट	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	04/12/1990	8.438	रा.उ.मा.वि. बहेडा (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती क्रोधा नेगी, प्र.अ.	रा.प्रा.वि.कर्मलधार	जाखणीधार	टिहरी गढ़वाल	04/12/1990	16.9	रा.इ.का. बडौवाला (बोईवाला) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती सीता भट्ट, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. रघुगंवाव	जीनपुर	टिहरी	04/12/1990	8.762	रा.उ.मा.वि. स्वैदन कसनोली (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती विजयलक्ष्मी नौटियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि.जाख	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	04/12/1990	6.992	रा.उ.मा.वि. दिखौली (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती सुमनलता सकलानी, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. मेराफ	जाखणीधार	टिहरी गढ़वाल	04/12/1990	1.751	रा.उ.मा.वि. काण्डीखाल (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	सुषमा नौटियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. रिगालगढ़	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	05/12/1990	2.274	रा.इ.का. म्याणी (जीनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती शिवानी कोठियाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. नैल	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	05/12/1990	0.000	रा.उ.मा.वि. जखारगाव (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती मनोरमा बगारी, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. डोंगधार	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	06/12/1990	17.158	रा.उ.मा.वि. कन्धरगाव (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती शोभा बडौनी, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. चमियाला	भिलगना	टिहरी गढ़वाल	10/12/1990	8.449	रा.इ.का. केशव केशव (भिलगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती चन्द्रकला, स.अ.	रा.क.उ.प्रा.वि. डुंड़ी	नारायणगढ़	चमोली	13/12/1990	31.123	रा.इ.का. कोटीवावपुर (कर्णप्रयाग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	श्री सुरील कुमार, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. पंगरियाणा	भिलगना	टिहरी गढ़वाल	28/12/1990	38.934	रा.उ.मा.वि. जैनपुर अशोड़ी (नारसन) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	उर्मिला नेगी, प्र.अ.	रा.प्र.वि. नखोलियाना	पोखरी	घमोली	31/12/1990	8.175	रा.इ.का. ब्यालाबेड़ (पोखरी) घमोली	उपलब्ध रिक्त पद में प्रति
15	श्रीमती वन्दना शर्मा, स.अ.	रा.क.उ.प्र.वि. दुत्तारागांव	दशोली	घमोली	31/12/1990	12.895	रा.उ.मा.वि. उत्तरी (पोखरी) घमोली	उपलब्ध रिक्त पद में प्रति

(अजय कुमार भट्टियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीटी

पू.सं./सेवा.अ.राज./3क(2)/ 2276-99

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उद्देश्यकित्त

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पीटी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपरिक्षा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करावें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अनिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 3300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित दिवस संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 85 वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्येर्षी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।
15. कार्यालय आदेश संज्ञिका।

(अजय कुमार भट्टियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीटी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/

168

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशात पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशात पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बेंच: 8300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा बर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-महिला								
विषय-हिन्दी								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती रीनू नीटियाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. तोणखण्ड	भिलगना	टिहरी गढ़वाल	07/12/1996	4.061	रा.क.इ.का. घनसाली (भिलगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार गौड़ियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 2251-75

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उपरोक्त।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपरिष्ठा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित परिष्ठा कक्षाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.वि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान 8300-34800, ग्रेड वेतन 4600 में कार्यरत हो।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा विद्युत् वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि लम्बी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ये आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के समुच्च पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


(अजय कुमार मुखियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पोर्टी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./३क(२)/

167

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रसर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/558-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मेट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 का तदनुसूची लेबल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-महिला								
विषय-गृह विज्ञान								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणंक	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	जयन्ती सुन्दरियाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. गाँदगा	रिखणीखाल	पौड़ी	16/01/1991	26.918	रा.क.उ.मा.वि. कोटडीरौन (रिखणीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती इन्दू डिनरी, स.अ.	रा.क.उ.प्रा.वि. गौबली	गैरसैण	बनौली	29/09/1993	8.471	रा.बा.इ.का. नारायणबगड़ (नारायणबगड़) बमौली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	सुनीता गुसाई, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. सरणा	पाबो	पौड़ी	09/10/1993	8.166	रा.क.उ.मा.वि. धण्डियाल (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार चौधरी)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./३क(२)/ 2226-50

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उक्तान्तित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-

- (क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34900, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।
- (ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्वय में लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ सलग्न समस्त सहायक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणीत छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पंजीक।

(अजय कुमार चौधरी)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/

166

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव-18(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/18739-40/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रवर्तनाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड 8300-34800, ग्रेड वेतन 4600 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय- गृह विज्ञान								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	शिक्षण खण्ड	जानपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	श्रीमती अनिता कुंवर, प्रा.वि.	रा.प्रा.वि. कटुड	दशौली	समोली	26/10/1989	7.405	रा.इ.का. पुजारगांव (जीनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती नईमा बानो, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. लामरीधार	जाखणीधार	टिहरी	14/09/1992	24.374	रा.उ.मा.वि. तिवाड़गांव (धौलधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री सरिता बपलियाल, प्रा.अ.	रा.प्रा.वि. काण्डई बच्छमस्तूँ	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	18/10/1993	7.624	रा.इ.का. घुमेटोधार (मिलंगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार शर्मा) निदेशक (मा.शि.)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 2200-25

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उक्तविरत।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रवर्तनाध्यापक/प्रवर्तनाध्यापिका/प्रवर्तनाध्यापक/प्रवर्तनाध्यापिका को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भर्ती-भारि परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात् सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें; उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा वर्तमान में वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


(अजय कुमार चौडवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीडी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/ 165

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापि/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2018-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2018 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 का तदनुकूपी लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा बर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को अगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय-अंग्रेजी								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गजेन्द्र प्रसाद निश्र, स.अ.	सकुल संसाधन केंद्र घेस	देवाल	चमोली	30/03/1995	32.486	रा.उ.मा.वि. बरखार (देवाल) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	किशन सिंह गुसाई, स.अ.	बी.आर.सी. नौगाव	नौगाव	उत्तरकाशी	31/03/1995	8.227	रा.इ.का. हुडोली (पुरोला) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती श्रद्धा सानी भट्ट, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. धौरियाधार	जाखणीधार	टिहरी	31/03/1995	0.529	रा.उ.मा.वि. गेवली देवल (जाखणीधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	रीता राणा, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. छतकोट	पौड़ी	पौड़ी	19/04/1995	1.033	रा.उ.मा.वि. भौरखाल (पाथी) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	भगवता सिंह, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. बगनीखाल	नारायणबगड़	चमोली	20/04/1995	32.946	रा.इ.का. कोटली (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	न्यु खण्डूड़ी, स.अ.	रा.उ.मा.वि. सबधरखाल	कोट	पौड़ी	22/04/1995	0	रा.उ.मा.वि. बगानीखाल (कोट) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	विनोद कुमार सेनवाल, सामान्यक	सी.आर.सी. स्यालसी	जौनपुर	टिहरी	03/05/1995	14.245	रा.उ.मा.वि. घोन नगुण (धौलघार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती आशा कुकरती, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. ऐरलगाव	जौनपुर	टिहरी	03/05/1995	11.285	रा.उ.मा.वि. बहेड़ा (बन्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्री भरोसी दत्त, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. नौधर	जौनपुर	टिहरी	04/05/1995	0	रा.इ.का. मेण्डखाल (धौलघार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्री नित्यानन्द, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. जखणा	भिलगना	टिहरी	05/05/1995	0	रा.उ.मा.वि. लस्यालगाव (भिलगना) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	राजबीर सिंह, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. भाग	पाथी	पौड़ी	08/05/1995	23.593	रा.इ.का. खण्डाह (खिर्सी) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	विनीता कारा, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. सकन्याणीखाल	जयहरीखाल	पौड़ी	12/05/1995	2.48	रा.इ.का. दिउसी (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	महावीर सिंह कुंवर, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. कुमजुग	घाट	चमोली	31/08/1995	26.456	रा.उ.मा.वि. कुण्डबगड़ (घाट) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	श्री प्रेम सिंह रावल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. सैरा	गैरसैण	चमोली	31/08/1995	19.577	रा.उ.मा.वि. फेरकण्डे (गैरसैण) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती पुष्पा उनियाल, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. बासकाटल	नरेन्दनगर	टिहरी	04/09/1995	3.896	रा.उ.मा.वि. जखारगाव (बन्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	भगवान सिंह डोटियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. जरोला	देवप्रयाग	टिहरी	05/09/1995	25.265	रा.उ.मा.वि. उनाना (देवप्रयाग) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	कमल किशोर बडोनी, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. पसनी	चम्बा	टिहरी	05/09/1995	17.904	रा.उ.मा.वि. सरठेड़ी (भगवानपुर) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
18	दिनेश कुमार पुरोहित, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. विशालखाल	पोखरी	चम्बोली	09/09/1995	13.446	रा.इ.का. फाटा (ऊर्खामट) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./उक(2)/ 2176-99 /30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.श.)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को इस्तेमाल कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का बली-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 में कार्यरत हों।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 65 वर्ष अथवा अधिक आयु के अम्बन्धी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।
15. कार्यालय आदेश भण्डिका।

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा अराज./3क(2)/

163

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अकीनरथ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-8 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-18(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-18 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाएं-2/556-67/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4800 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आर्षटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय-वाणिज्य								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सरत सिंह रावत, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. गोजनेर	धौलघाट	टिहरी	26/02/1995	7.421	रा.उ.का. लम्बगांव (प्रतापनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार चौडवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.सं./सेवा अराज./3क(2)/ 2126-50

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उक्तकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को उचित कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित पित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अनिलेखों का गली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4800 में कार्यरत हो।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो जगती वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणांक छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पंजीक।

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पीडी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/ 162

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/558-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्टनिशरिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 का तदनुसारी सेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा बर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय-संस्कृत								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, स.अ	रा.उ.प्रा.वि. कबीली कुरुक्षेत्र	अगरस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	27/10/1987	16.447	रा.उ.मा.वि. कबीलीकुरुक्षेत्र (अगरस्त्यमुनि) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार शर्मा)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 2100-25

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (द्वैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करावें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित विल एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्येर्षी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निगंत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के समुच्च पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश योजिका।


(अजय कुमार, नौदियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पोड़ी

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/

161

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 मर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन ब्रेण्ड 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600 का तदनुसूची लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा मर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आर्षित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार विधित की जायेगी।

शाखा-महिला								
विषय-विज्ञान								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	श्रीमती आशादीप मैठाणी, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. बगसोली	कर्णप्रयाग	चमोली	13/09/1997	5.285	रा.बा.इ.का. पोखरी (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	हेमलता बडोला, प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. मडाली	जयहरीखाल	पौड़ी	12/12/1997	19.318	रा.बा.इ.का. कलालघाटी (दुगढडा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	सरिता नेगी, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. नन्दाखाल	एकेश्वर	पौड़ी	11/12/1997	19.774	रा.क.उ.मा.वि. लालपुर (दुगढडा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार चौधरी)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

प.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 2076-99

/30 प्रति. पदोन्नति/2017-18/दिनांक उक्तवित्त।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैज्ञानिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)

13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अनिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें—

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हों।

(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब के ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अर्जियों के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के समुच्च पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (सो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


(अनंद कुमार चौडवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (भा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अराज./3क(2)/

160

/30 प्रति, पदोन्नति/2017-18/दिनांक 11/05/17

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 बर्ता प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में उल्लिखित प्राक्कानों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/19739-40/30 प्रतिशत पदो/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवाए-2/556-57/30 प्रतिशत पदो/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रबानाध्यापक प्रा.वि./सहायक अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा दिकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4800 का तदनुकूपी लेवल-07) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा बर्ता अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा-सामान्य								
विषय-विज्ञान								
क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती वृजमती रावत, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. दुवा	कणप्रयाग	धमोली	13/09/1997	2.274	रा.उ.मा.वि. कुजासू (पोखरी) धमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	आशा पोखरियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. नैरुल	द्वारीखाल	पौड़ी	23/10/1997	16.62	रा.उ.मा.वि. कुजाघाण्ट (विकासनगर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती मीना रावत, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. बीरी धनपुर	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	03/11/1997	14.274	रा.उ.मा.वि. खडपतिया (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	अनुपमा रावत, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. तेलपुरा	सहसपुर	देहरादून	29/11/1997	0.679	रा.उ.मा.वि. मंजगाव सेलवाणी (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती अजना पवार, प्र.अ.	रा.प्रा.वि. नयाकी धनपुर	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	29/11/1997	7.346	रा.उ.मा.वि. तिलवारखाल (यनकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	विजय कुमार नीटियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. दोमटखाल (उन्वीकृत)	पौड़ी	पौड़ी	10/12/1997	16.914	रा.उ.मा.वि. झण्डीखोड़ परिवर्षी (दुगुडा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती बीना शर्मा, स.अ.	रा.प्रा.वि. ललबन्दनी पौड़ी गढ़वाल	यमकेश्वर	पौड़ी	03/11/1997	20.157	रा.उ.मा.वि. अकबरपुर, (नारसन) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नीटियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू.सं./सेवा.अराज./3क(2)/

2051-75

/30 प्रति, पदोन्नति/2017-18/दिनांक उन्नांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.श.)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपरिष्ठा अधिकारियों को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित विल एव लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का मली-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600 में कार्यरत हो।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित सस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तारी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सन्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित) प्रस्तुत करेंगे।
15. कार्यालय आवेग पत्रिका।

(अजय कुमार लोडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी